



कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

दूरभाष: (0771) 2513100 से 2513110

E-mail : mfpfed.cg@nic.in

GST No. 22AABAC5137E2ZC

Website : www.cgmpfed.org

क्रमांक/MFP03/वित्त-कर/DIS/728630/2026

नवा रायपुर, दिनांक : 18/09/2026

प्रति,

समस्त क्रेतागण,

तेंदूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज

विषय:-फॉर्म नंबर 27C के स्थान पर फॉर्म-127 प्रस्तुत करने बाबत ।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि आयकर अधिनियम 2025 (जो 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील है) के अंतर्गत तेंदूपत्ता के क्रेता जो स्वयं तेंदूपत्ता से उत्पाद निर्माणकर्ता है, को आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु नियमानुसार फॉर्म नंबर 127 प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

पूर्व में आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फॉर्म नंबर 27C तेंदूपत्ता से उत्पाद निर्माणकर्ता द्वारा आयकर से छूट हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था जिसे आयकर अधिनियम 2025 द्वारा परिवर्तन किया गया है ।

उक्त स्थिति में आयकर अधिनियमों के प्रावधान का पालन करते हुए इस कार्यालय द्वारा केवल फॉर्म नंबर 127 ही स्वीकार किया जावेगा ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
S. VENKATACHALAM

Date: 18-09-2026

11:52:46

(एस. वेंकटाचलम)

कार्यकारी संचालक

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक : 18/09/2026

पृ.क्र./ MFP03/वित्त-कर/DIS/728631/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, (छ.ग.)
- 2.समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़ ।
- 3.श्रीमती काजल साहू, प्रोग्रामर, संघ मुख्यालय नवा रायपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड हेतु अविलंब आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

Digitally signed by

SHASHANK SAHU

Date: 18-09-2026

13:25:26

(शशंक साहू)

प्रबंधक (लेखा)

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर